Assistant

169

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2017/ज्येष्ठ 9, 1939

No. 428] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2017/ JYAISTHA 9, 1939

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

सा.का.नि. 527(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद '309' के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (मुख्यालय), सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (मुख्यालय), सहायक, समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (मुख्यालय), सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम '2' के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; अर्थात्:—

"**2. पद-संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,—

(i) स्तंभ (4) में,—

क. शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान।";

ख. विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"वेतन मेट्रिक्स में स्तर – 6 (35400-112400 रु.)।";

(ii) स्तंभ (11) में,—

(क) उप-शीर्षक 'प्रोन्नति' के अधीन,

क. "वेतन बैंड -1, 5200-20200 रुपये, + ग्रेड वेतन 2400 रुपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रुपये)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

ख. 'टिप्पण 2' का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति' के अधीन,—

क. खंड (ii) में "वेतन बैंड -1 में 5200-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मेट्रिक्स के स्तर- 4 में 25500-81100 रुपये" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

ख. 'टिप्पण 4' का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 12018/1/2013-डीसीएचएल/स्था.-I]

शांतमनु, हथकरघा विकास आयुक्त

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप–खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 214(अ), तारीख 3 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

G.S.R. 527(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Assistant, Group - 'B' Post, Recruitment Rules, 2015, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Assistant, Group - 'B' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Assistant, Group – 'B' Post, Recruitment Rules, 2015, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

"2. **Number of post, classification, level in the pay matrix or pay scale.**—The number of post, its classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the said rules, in the Schedule,—

(i) in column (4),—

A. for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"Level in the pay matrix or pay scale.";

B. for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).";

(ii) in column (11),—

(a) under sub-heading 'Promotion',—

A. for the words, figures and letters "in the Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400", the words, figures and letters "in level 4 in the pay matrix Rs. 25500-81100" shall be substituted;

B. the 'Note-2' shall be omitted;

(b) under sub-heading 'Deputation',—

A. in clause (ii) for the words, figures and letters "pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400", the words, figures and letters "in level 4 in the pay matrix Rs. 25500-81100" shall be substituted;

B. the 'Note 4'shall be omitted.

[F. No. 12018/1/2013-DCHL/Estt.-I]

SHANTMANU, Development Commissioner for Handlooms

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R 214, dated the 3rd November, 2015.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.05.31 22:59:24 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Assistant

154

			pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. A-12018/6/2009-Adm. IV]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 214.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (सहायक) भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा (मुख्यालय) के लिए विकास आयुक्त हथकरघा के कार्यालय में सहायक के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (मुख्यालय) सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा,जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता : वह व्यक्ति**—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

153

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक	19* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्याल या संस्थान से बैचलर डिग्री। **टिप्पणी 1** – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2**- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं	दो वर्ष	बयालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और अठावन प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति : वेतन बैंड 1, 5200-20200 रुपये, ग्रेड वेतन 2400 रुपये में विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय में ऐसा अपर श्रेणी लिपिक जिसने दस वर्ष नियमित सेवा की हो साथ ही उसने स्थापना और प्रशासन में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये और ग्रेड वेतन 2400 रुपये में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने काडर में दस वर्ष नियमित सेवा की है ; **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर/संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) प्रभारी स्थापना-I -अध्यक्ष ;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

2. अपर विकास आयुक्त (हथकरघा) - सदस्य 3 वस्त्र मंत्रालय में निदेशक या उप सचिव - सदस्य (ii) पुष्टि के लिए विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर/संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) प्रभारी, स्थापना-I - अध्यक्ष 2. अपर या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) - सदस्य 3. वस्त्र मंत्रालय में निदेशक या उपसचिव - सदस्य	

[फा. सं. 12018/1/2013-डीसीएचएल/स्था.-I]

अनिल राजकुमार, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

New Delhi, the 3rd November, 2015

G.S.R. 214 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, (Assistant) Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant in the Office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Ministry of Textiles, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Assistant, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.** - The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant	19* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Pay band -2, Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Selection	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or order issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Bachelor's Degree from a recognised University or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No.	Two years.	Forty two per cent by promotion	**Promotion** : Upper division clerk in the Office of Development	(i) Composition of Departmental Promotion	Consultation with Union Public Service

		failing which by deputation; and fifty eight per cent by direct recruitment.	Commissioner Handlooms with ten years' regular service in the Pay Band-1, of Rs. 5200-20200, grade pay of Rs. 2400 with 2-4 weeks training in establishment and administration. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation** : Officers of the Central Government, – (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Upper Division Clerk with ten years' regular service in the cadre or pay band-1, of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 in the parent Department. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible	Committee for promotion 1. Additional./ Joint Development Commissioner for (Handlooms) In-charge of Establishment-I – Chairman; 2. Additional or Joint Development Commissioner (Handlooms) – Member; 3. Director or Deputy Secretary in the Ministry of Textiles – Member. (ii) Composition of Departmental Confirmation Committee for confirmation: 1. Additional./Joint Development Commissioner for (Handlooms) In-charge of Establishment-I – Chairman; 2. Additional or Joint Development Commissioner (Handlooms) – Member; 3. Director or Deputy Secretary in the Ministry of Textiles – Member.	Commission is not necessary.

			for consideration for appointment on deputation and similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note-2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications. **Note 4:** For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.		

[F. No. 12018/1/2013-DCHL/Estt.-I]

ANIL RAJ KUMAR, Addl. Development Commissioner for Handlooms

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.